सं. 4/31/2007-डीजीएडी
भारत सरकार
वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
वाणिज्य विभाग
पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय

दिनांक 10 मार्च, 2007

व्यापार नोटिस सं. 1/2008

1. वर्ष 1995 में यथा संशोधित सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की धारा 9 क तथा तत्संबंधी सीमाशुल्क टैरिफ (पाटित वस्तुओं पर पाटनरोधी शुल्क की पहचान, आकलन और संग्रहण तथा क्षति का निर्धारण) नियमावली, 1995 के नियम 23 की ओर व्यापार और उद्योग का ध्यान आकर्षित किया जाता है।

2. उपरोक्त के संबंध में, यह सूचित किया जाता है कि एतद्पश्चात पाटनरोधी एवं संबद्ध शुल्क महानिदेशालय (डीजीएडी) एक निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) आरंभ करने के लिए निम्नलिखित प्रक्रिया का पालन करेगाः

   (i) पाटनरोधी उपायों के चौथे वर्ष के बाद तुरंत घरेलू उद्योग (डीआई) को चेतावनी पत्र भेजा जाएगा। घरेलू उद्योग को पत्र भेजने के 40 दिनों के भीतर यह सूचित करना होगा कि क्या पाटनरोधी उपायों को आगे बढ़ाने की मांग करने के लिए कोई आवेदन दाखिल करने के इच्छुक हैं। यदि हां, तो लागू पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत को स्पष्ट करते हुए एक आवेदन, पाटनरोधी उपायों के समाप्त होने की तारीख के 6 माह पूर्व निदेशालय में प्राप्त हो जाना चाहिए।

   (ii) निर्दिष्ट प्राधिकारी घरेलू उद्योग के आवेदन के आधार पर अथवा पैरा 2(i) में प्रदान की गई समय-सीमा समाप्त होने के बाद स्वतः निर्णायक समीक्षा जांच आरंभ करेगा और बाद के मामले में घरेलू उद्योग को एक प्रश्नावली जारी करेगा, जिसमें पाटनरोधी उपायों को जारी रखने की जरूरत को प्रमाणित करते हुए अगले 40 दिनों के भीतर उसका उत्तर देने का परामर्श दिया जाएगा। इसकी प्राप्ति होने पर अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भी पाटनरोधी उपायों को जारी रखने अथवा न रखने की जरूरत के संबंध में पत्र जारी करने की तारीख

से 40 दिनों के भीतर अपनी टिप्पणियां प्रस्तुत करने का परामर्श दिया जाएगा।

(iii) यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी विभिन्न पक्षकारों से प्राप्त सूचना के बाद इस बात से संतुष्ट होते हैं कि पाटनरोधी उपायों को संशोधन के साथ अथवा संशोधन के बिना जारी रखने के लिए पर्याप्त आधार है, तो वह केंद्र सरकार को इसकी सिफारिश कर सकते हैं। तथापि, निर्दिष्ट प्राधिकारी यदि यह पाते हैं कि लागू उपायों को जारी रखने के लिए अपर्याप्त आधार है, तो वे उसे समाप्त कर सकते हैं।

3. उपरोक्त प्रक्रिया निर्णायक समीक्षा (एसएसआर) के संबंध में निदेशालय द्वारा जारी किए गए और इस निदेशालय के प्रकाशनों में मौजूद सभी पूर्व अनुदेशों अथवा व्यापार नोटिस का अधिक्रमण करेगी।

(नीरज कुमार गुप्ता)
संयुक्त सचिव
कृते निर्दिष्ट प्राधिकारी

सेवा में

सभी संबंधित